न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
उपस्थितः– उपस्थितः श्री सुनील कुमार IV (एच.जे.एस.)
J.O.Code.U.P1885
सत्र परीक्षण संख्या– 323/2022

राज्य **प्रति** **मुकेश व अन्य**

आरोप

मैं ,सुनील कुमार IV सत्र न्यायाधीश, चन्दौली,
आप अभियुक्तगणः–

1. मुकेश, 2. इन्द्रासन, 3. रामसूरत, पुत्रगण भगवान उर्फ भगावन, 4. इन्द्रजीत पुत्र इन्द्रासन, 5 शिवराती उर्फ सुरसती देवी पत्नी इन्द्रासन,
पर निम्न आरोप लगाता हूंः–

प्रथमः– यह कि सन् 2007 में वादी मुकदमा की पुत्री तुलसा यादव की शादी अभियुक्त मुकेश यादव से होने व उसके बिदा होकर ससुराल आने के पश्चात् से दिनांक 22–02–2021 को समय प्रातः 06.00 बजे उसकी हत्या कारित करने से ठीक पूर्व तक की समयावधि में स्थान ग्राम भटवाराकलां, थाना चकिया, जनपद चन्दौली में आप अभियुक्तगण वादी की पुत्री तुलसा यादव को उसके पति मुकेश यादव के अवैध सम्बन्धों को लेकर हुए विवाद में उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने भा0दं0सं0 की धारा 498ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी की पुत्री तुलसा यादव के पति मुकेश यादव के अवैध सम्बन्धों को लेकर हुए विवाद के अनुक्रम में वादी की पुत्री तुलसा यादव को मारने पीटने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उसके सिर पर पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार आपलोगों ने धारा 302 सपठित 149 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपलोगो को आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोपों के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः–03–11–2022.

(सुनील कुमार IV)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया जिसे उन्होंने अस्वीकार किया तथा विचारण का दावा किया ।

दिनांकः–03–11–2022.

(सुनील कुमार IV)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
उपस्थितः— उपस्थितः श्री सुनील कुमार IV (एच.जे.एस.)
J.O.Code.U.P1885
सत्र परीक्षण संख्या— 323/2022

राज्य प्रति मुकेश व अन्य

आरोप

मैं ,सुनील कुमार IV सत्र न्यायाधीश, चन्दौली,

आप अभियुक्ताः—

1. अनीता पुत्री इन्द्रासन यादव,

पर निम्न आरोप लगाता हूंः—

प्रथमः— यह कि सन् 2007 में वादी मुकदमा की पुत्री तुलसा यादव की शादी सह अभियुक्त मुकेश यादव से होने व उसके बिदा होकर ससुराल आने के पश्चात् से दिनांक 22—02—2021 को समय प्रातः 06.00 बजे सह अभिुक्तगण द्वारा उसकी हत्या कारित करने से ठीक पूर्व तक की समयावधि में स्थान ग्राम भटवाराकलां, थाना चकिया, जनपद चन्दौली में वादी की पुत्री तुलसा यादव को उसके पति मुकेश यादव के अवैध सम्बन्धों को लेकर हुए विवाद में आपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 498ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोप के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः—03—11—2022.

(सुनील कुमार IV)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

आरोप पढ़कर अभियुक्ता को सुनाया व समझाया गया जिसे उसने अस्वीकार किया तथा विचारण का दावा किया ।

दिनांकः—03—11—2022.

(सुनील कुमार IV)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।

सत्र परीक्षण संख्या–323/2022

राज्य प्रति मुकेश व अन्य

03–11–2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण मुकेश, इन्द्रासन, रामसूरत, इन्द्रजीत, शिवराती उर्फ सुरसती एवं अनीता मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन ने उन साक्ष्यों का उल्लेख किया जो अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध किये जाने हैं। उक्त के आधार पर अभियुक्तगण मुकेश, इन्द्रासन, रामसूरत, इन्द्रजीत, शिवराती उर्फ सुरसती पर धारा 498ए, 302/149 भा.दं.सं. एवं अभियुक्ता अनीता पर धारा 498ए भा.दं.सं. का आरोप लगाये जाने के संदर्भ में पत्रावली में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। तद्नुसार अभियुक्तगण पर आरोप लगाये जाने का आदेश दिया जाता है।

सेशन जज,
चन्दौली।

बादहू,

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित हैं। अभियुक्तगण मुकेश, इन्द्रासन, रामसूरत, इन्द्रजीत, शिवराती उर्फ सुरसती पर धारा 498ए, 302/149 भा.दं.सं. एवं अभियुक्ता अनीता पर धारा 498ए भा.दं.सं. का आरोप लगाया गया जिसे उन्होंने अस्वीकार किया तथा परीक्षण का दावा किया।

आरोप–पत्र के साक्षीगण तलब किये जाएं। साक्ष्य हेतु मुकदमा दिनांक 25–11–2022 को प्रस्तुत हो।

सेशन जज,
चन्दौली।

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2022.11.03 04:42:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court